न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

मोहिनी बानो बनाम मालीराम

किस्म मुकदमा 225 मु. नं0 83 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
26.7.18	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आराजी ख0नं0 118/1 रकबा 59 बीघा 10 बिस्वा, हाल खसरा नं0 280 रकबा 1.20 हैक्टर, ख0नं0 281 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 282 रकबा 8.78 हैक्टर, ख0नं0 276 रकबा 4.60 हैक्टर ख0नं0 277 रकबा 2.37 हैक्टर ग्राम झुन्झुनू का अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट ने दावा किया। किन्तु वो इस आराजी के खातेदार नहीं है। इस आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्टस् है। जिनको बिना सुने ही अदालत मातहत ने दिनांक 31-1-2013 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जबकि कानूनन एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं अदालत मातहत ने 31-1-2013 को एकपक्षीय जारी स्थगन आदेश को आगे आगे बिना किसी कारण के बढाया जा रहा है। जबकि एकपक्षीय आदेश को 30 दिन के अन्दर अन्दर अन्तिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिये। किन्तु अदालत मातहत ने इस आज्ञापक आदेश की अवेहलना कर प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण न कर अपीलान्ट जो उक्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है कानून के विपरित पाबन्द किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा जावे। अपीलान्ट संख्या-1 को पक्षकार नहीं बनाये जाने पर प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी पेश किया है। अतप्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	बहस बगौर समाहत की गई । अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 31-1-2013 को जारी किया है । उसके बाद इस आदेश को तारीख से तारीख आगे बढाया गया है । जबकि एकपक्षीय आदेश को आदेश-39 नियम-3क के अनुसार 30 दिन के अन्दर अन्तिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिये था । किन्तु अदालत मातहत ने इस आदेश को लगभग 66 माह तक जारी रख आज्ञापक आदेशों की अवेहलना की है । अतः हम न्यायहित में अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 31-1-2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर अप प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण 30 दिन में करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 28-8-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	